



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1309) पटना, मंगलवार, 5 अगस्त 2025

श्रम संसाधन विभाग
(श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश
4 अगस्त 2025

सं० 42—दिनांक-28.04.2025 को जिलाधिकारी, बक्सर-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, बक्सर की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-01-0905 दिनांक-29.04.2025 द्वारा स्व० सुदामा राम, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, श्रम अधीक्षक का कार्यालय, बक्सर के आश्रित पुत्र-श्री मनीष कुमार राम को ग्रेड पे-1800/- के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा (क्रम सं०-4) की गई है।

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, बक्सर से प्राप्त अनुशंसाके आलोक में श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में श्री मनीष कुमार राम को समूह-‘ग’ के कार्यालय परिचारी (कोटि-IV) के पद पर ग्रेड पे-1800/- (लेवल-1, वेतनमान-18000-56,900/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित पद ग्रहण करने की तिथि से औपबधिक रूप से नियुक्त करते हुए मुख्य वाष्ित्र निरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री मनीष कुमार राम की जन्म तिथि-01.01.1998 है।
3. श्री मनीष कुमार राम को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. श्री मनीष कुमार राम को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण पोषण हेतु पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। यदि श्री राम द्वारा मृत सरकारी सेवक के आश्रितों का भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण-पृच्छा प्राप्त कर उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। शपथ-पत्र में इस बात का भी उल्लेख होगा कि अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना करेंगे तो उनकी उपलब्धियों का एक अंश काटकर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को देने का अधिकार नियुक्ति पदाधिकारी का होगा।
5. श्री मनीष कुमार राम को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षों से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना है।

6. श्री मनीष कुमार राम को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
7. श्री मनीष कुमार राम को विवाह में तिलक-दहेज न लेने और न देने का भी शपथ-पत्र देना होगा।
8. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
9. श्री मनीष कुमार राम पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक-17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।
10. श्री मनीष कुमार राम आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द की जा सकेगी।
11. बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवाशर्तों) नियमावली, 2023 की कड़िका-8 (2) के आलोक में अभ्यर्थी का फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र भी संलग्न किया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
12. भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होगी कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/घोषणा गलत है या उनके द्वारा तथ्य को जानबूझकर छुपाया गया है या उनके द्वारा अनुकम्पा से संबंधित सेवा शर्तों की अवहेलना की जा रही है तो उनकी नियुक्ति रद्द की जा सकेगी।

आदेश से,
राजेश भारती,
श्रमायुक्त, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1309-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>